IJAER/ November-December 2024/Volume-13/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

एक देश एक चुनाव की आवश्यकता का एक राजनैतिक आवश्यकता

मोहन सिंह जाट
पद सहायक आचार्य, विषय राजनीति विज्ञान
अग्रसेन महिला पी. जी. महाविद्यालय खेरली, अलवर

सारांश हालाँकि, भारत के लोकतंत्र को कई चुनौतियों और समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, लोकलुभावनवाद, नीतिगत लचरता, शासन को पैसे का घाटा और चुनावी गड़बड़ियां। इन समस्याओं का एक प्रमुख कारण भारत में विभिन्न स्तरों और समय पर होने वाले बार–बार और क्रमबद्ध चुनाव हैं। भारत में लोकसभा (संसद का निचला सदन) और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए पांच साल का कार्यकाल होता है, लेकिन विघटन, अविश्वास प्रस्ताव, दलबदल, या राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे विभिन्न कारणों के कारण अस्थिरता हमेशा ही बनी रहती है। इसके परिणाम स्वरूप, भारत में लगभग हर साल चुनाव होते हैं, या तो लोकसभा के लिए या कुछ राज्य विधानसभाओं या स्थानीय निकायों के लिए। इन बार–बार और अनियमित चुनावों का भारत के लोकतंत्र और विकास पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये की लागत आई, जिससे यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बन गया। इस राशि में भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किया गया खर्च शामिल है, जो 10,000 करोड़ रुपये था, और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किया गया खर्च, जो 50,000 करोड़ रुपये था। यह सार्वजनिक धन और संसाधनों की भारी बर्बादी है जिसका उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जिससे मैरे भारत का विकास तेजी के साथ हो सके।

मुख्य शब्द, लोकसभा, विधानसभा, चुनाव, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता आदि।

प्रस्तावना, भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण बार–बार होने वाले चुनाव भारत में भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जिसे वह अक्सर अवैध या संदिग्ध स्रोतों जैसे काला धन, कॉर्पोरेट दान, विदेशी फंडिंग या जबरन वसूली से जुटाते हैं। यह राजनेताओं, व्यापारियों, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच एक गठजोड़ बनाता है, जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न घोटालों, घोटालों और कदाचारों में लिप्त होते हैं। बार–बार होने वाले चुनावों से बूथ कैप्चरिंग, मतदाता प्रतिरूपण, धांधली, धमकी, रिश्वतखोरी या हिंसा जैसी चुनावी धोखाधड़ी भी बड़े पैमाने पर होती है।

लोकलुभावनवाद और राजनीति का धुरुवीकरण बार–बार होने वाले चुनाव भारत में लोकलुभावनवाद और राजनीति के धुरुवीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनावों के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए अवास्तविक वादे करते हैं या मुफ्त या सब्सिडी की पेशकश करते हैं। इससे सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासनहीनता

और फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिलता है। बार–बार होने वाले चुनाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ–साथ जाति, धर्म, भाषा या जातीयता जैसे विभिन्न समुदायों के बीच भी विभाजन पैदा करते हैं। इससे राजनीति में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। इन समस्याओं को दूर करने और भारत के लोकतंत्र और विकास को बेहतर बनाने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक नेताओं ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार प्रस्तावित किया है।

यह विचार वर्तमान प्रथा के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए अलग–अलग समय पर कराने के बजाय एक साथ चुनाव कराने को संदर्भित करता है। इस विचार को पहली बार 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में सुझाया था, और बाद में 2015 में चुनाव आयोग, 2017 में नीति आयोग और 2018 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा इसका समर्थन किया गया एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ भी हैं। जैसे चुनाव की कम लागत आना एक साथ चुनाव कराने से चुनाव की लागत काफी कम हो जाएगी, क्योंकि (ECI) राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च कई बार के बजाय पांच साल में केवल एक बार किया जाएगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक साथ चुनाव से ECI के लिए 4,500 करोड़ रुपये और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। इससे सार्वजनिक धन और संसाधन अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए मुक्त हो जायेंगे।

प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम एक साथ चुनाव से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर भी बोझ कम होगा, क्योंकि उन्हें कई बार के बजाय पांच साल में केवल एक बार चुनाव कराना होगा। इससे सिविल सेवकों, पुलिस अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों पर दबाव कम होगा, जो शासन और सेवा के अपने सामान्य कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। सुरक्षा बल हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता और अलगाववाद जैसी विभिन्न चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होंगे। नीति की निरंतरता और शासन दक्षता एक साथ चुनाव केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नीति की निरंतरता और शासन दक्षता को भी सुनिश्चित करेंगे। ECI को बार–बार आचार संहिता लागू नहीं करनी पड़ेगी, जिससे सरकार को बिना किसी बाधा के नई परियोजनाओं की अनुमति मिल जाएगी। इससे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता बढ़ेगी। सरकार चुनावी राजनीति के बजाय शासन और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगी। भारत में ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' का इतिहास अगर आप सोचते हैं कि ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' की अवधारणा भारत के लिए नई है तो आप गलत हैं क्योंकि ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' हमारे देश में कोई अनोखा प्रयोग नहीं है। भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए हैं। यह प्रथा 1968–69 में बंद कर दी गई, क्योंकि पहले कुछ विधान सभाएँ विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थीं। तब से भारत पुरानी चुनाव प्रणाली को अपनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है लेकिन राजनीतिक दलों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पा रही है. बार–बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर भी काफी दबाव पड़ता है, जिन्हें भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना होता है।

चुनाव कराने के लिए ECI को सिविल सेवकों, पुलिस अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और स्वयंसेवकों सहित 10 मिलियन से अधिक कर्मियों को तैनात करना होगा। चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों को हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता और अलगाववाद जैसी विभिन्न चुनौतियों से निपटना पड़ता है। चुनावों के दौरान प्रशासनिक मशीनरी भी शासन और सेवा वितरण के अपने सामान्य कर्तव्यों से विमुख हो जाती है। बार–बार होने वाले चुनाव केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नीति–निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया को भी बाधित करते हैं। जब भी चुनावों की घोषणा होती है तो ECI आदर्श आचार संहिता (MCC) लगाती है, जो सरकार को मतदाताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी नई योजना या परियोजना को शुरू करने से रोकती है। इससे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता और स्थिरता प्रभावित होती है। सरकार चुनावों के दौरान शासन और विकास की तुलना में चुनावी राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। बार–बार होने वाले चुनाव राजनीतिक व्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता भी पैदा करते हैं, क्योंकि सरकार किसी भी समय अपना बहुमत खो सकती है या त्रिशंकु संसद या गठबंधन का सामना कर सकती है।

एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक व्यवस्था में निश्चितता और स्थिरता भी आएगी, क्योंकि सरकार का कार्यकाल पांच साल का निश्चित होगा, जिसमें बहुमत खोने या त्रिशंकु संसद या गठबंधन का सामना करने का कोई डर नहीं होगा। भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश एक साथ चुनाव से भारत में भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कम धन की आवश्यकता होगी, जिससे धन के अवैध या संदिग्ध स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। इससे राजनेताओं, व्यापारियों, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ टूट जाएगा, जो विभिन्न घोटालों, घोटालों और कदाचार में लिप्त हैं। एक साथ चुनाव होने से बूथ कैप्चरिंग, मतदाता प्रतिरूपण, धांधली, धमकी, रिश्वतखोरी या हिंसा जैसी चुनावी धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी। लोकलुभावनवाद और राजनीति के धुरुवीकरण को कम करना एक साथ चुनाव से भारत में लोकलुभावनवाद और राजनीति के धुरुवीकरण को कम करने में भी मदद मिलेगी। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए अवास्तविक वादे नहीं कर पाएंगे या मुफ्त या सब्सिडी की पेशकश नहीं कर पाएंगे। इससे सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन और तर्कसंगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा। एक साथ चुनाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ–साथ जाति, धर्म, भाषा या जातीयता जैसे विभिन्न समुदायों के बीच की खाई को भी पाट देंगे। इससे राजनीति में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार कोई नया नहीं है। भारत में यह 1967 तक प्रचलित था, जब विभिन्न कारणों से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग–अलग चुनाव शुरू हुए। तब से, कई समितियों और आयोगों ने इस विचार का अध्ययन किया है और अपनी सिफारिशें दी हैं। हालाँकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों या नागरिक समाज के बीच कोई सहमति नहीं है। इसलिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले इस विचार पर व्यापक और समावेशी बातचीत करना जरूरी है। लोकतंत्र में हो सकता है सुधार" एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार भारत के लोकतंत्र में एक सुधार ला सकता है जिसका उद्देश्य इसे अधिक कुशल, प्रभावी और जवाबदेह बनाना है।

भारत के विकास के लिए इसके कई फायदे हैं, जैसे लागत, समय और संसाधनों की बचतय नीति की निरंतरता और शासन दक्षता सुनिश्चित करनाय भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर अंकुश लगानाय लोकलुभावनवाद और धुरुवीकरण को कम करनाय और राष्ट्रीय एकता और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। हालाँकि, इसमें कुछ चुनौतियाँ और कमियाँ भी हैं, जैसे संवैधानिक संशोधन की आवश्यकताय मतदाता की पसंद और जागरूकता को प्रभावित करनाय विपक्षी दलों को कमजोर करना और उनकी भूमिकाय संघीय ढांचे और क्षेत्रीय विविधता को कमजोर करनाय और एक समरूप और अखंड राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करना। इसलिए, इस विचार को लागू करने से पहले इसके फायदे और नुकसान पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि भारत के कुछ राज्यों में अक्सर चुनाव होते रहते हैं। इसलिए राज्य मशीनरी और भारत का चुनाव आयोग उन राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए अपने संसाधनों, जनशक्ति को लगाता है।

अब एनडीए सरकार ''एक देश एक चुनाव'' को अमल में लाने की सोच रही है. आइए इस लेख को पढ़ें और एक राष्ट्र एक चुनाव के गुण और दोषों के बारे में जानें।[6] भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है क्योंकि चीन सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद साम्यवादी देश है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव पांच साल के अंतराल पर होते हैं। लेकिन देखा गया है कि भारत में चुनाव पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न चुनावों के संचालन पर बहुत सारा पैसा, समय और ऊर्जा खर्च करती है। यही कारण है कि भारत सरकार भारत में ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' प्रणाली के बारे में सोच रही है। 'एक राष्ट्र एक चुनाव'' प्रणाली क्या है? भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव 5 साल के अंतराल पर होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्तय कुछ राज्यों में अलग–अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग–अलग होते हैं जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। अब एनडीए सरकार 5 साल के अंतराल में पूरे देश में सिर्फ एक चुनाव कराना चाहती है।.

एक राष्ट्र एक चुनाव के गुण और दोष

एक राष्ट्र एक चुनाव के गुण

1 काले धन पर लगामः यह खुला रहस्य है कि चुनाव काले धन से लड़े जाते हैं। देश में चुनाव के दौरान भारी मात्रा में काला धन सफेद धन में बदल गया। इसलिए अगर पूरे साल चुनाव कराए जाएं तो देश में समानांतर अर्थव्यवस्था बढ़ने की संभावना है.

2 सरकारी मशीनरी का सुचारू कामकाज संबंधित सरकार देश और राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विशाल जनशक्ति और मशीनरी तैनात करती है। स्कूल और कॉलेज समय पर खुलते हैं शिक्षकों और अन्य अधिकारियों को अपने संबंधित विभागों में काम करने की अनुमति है जिससे आम जनता का जीवन आसान हो जाता है।

3 पैसे की बचतः एक साथ चुनाव के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क सरकारी पैसे की बचत है. यदि देश ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' अपनाता है तो इससे भारी धन की बचत होगी। 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4120 विधायक हैं। बड़ी सभाओं के लिए अधिकतम व्यय सीमा 28 लाख है। इसका मतलब है कि अगर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में

एक बार चुनाव हो तो इसकी कुल लागत लगभग रु. 11 अरब. आमतौर पर हर साल लगभग 5 राज्यों में चुनाव होते हैं।

4 तेजी से विकास कार्यः यह देखा गया है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो नई परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं हो पाता है। इसलिए एक बार का चुनाव केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

5 शासन की दक्षताः यदि चुनाव प्रतिवर्ष नहीं कराए जाते तो सरकार को आकर्षक योजनाओं के माध्यम से आम जनता को लुभाने और जाति और धर्म आधारित कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यहां तक कि राज्य और केंद्र सरकार को भी हर साल आकर्षक बजट बनाने की जरूरत नहीं है और वे अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं।

एक राष्ट्र एक चुनाव के दोष

1 चुनाव नतीजों में देरीः मौजूदा समय में जब लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं. यदि चुनाव एक ही समय में कराए जाएंगे तो चुनाव परिणाम बहुत देर से घोषित होंगे।

2 संवैधानिक समस्याएँः देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण एक बार का चुनाव लगभग असंभव लगता है। मान लीजिए कि चुनाव एक साथ कराए जाएं लेकिन यह निश्चित नहीं है कि सभी राज्यों और केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। यह भी संभव है कि कुछ दल गठबंधन सरकार बनाएं जो 5 वर्ष से पहले कभी भी गिर सकती है । इसलिए पूरे देश में दोबारा चुनाव होने की संभावना है।

3 विशाल मशीनरी और संसाधनों की आवश्यकताः जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और लोकसभा में एक साथ चुनाव कराना कठिन काम होगा। विधि आयोग के मुताबिक, अगर देश में एक साथ चुनाव होता है तो चुनाव आयोग को नई ईवीएम पर 4,500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

4 स्थानीय मुद्दे खत्म हो जाएंगेः देखा गया है कि राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग–अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को लक्ष्य बनाते हैं जबकि राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दों को लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे में संभावना है कि क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे.

5 क्षेत्रीय दलों के लिए कठिन समयः क्षेत्रीय दल चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय मतदाताओं से गहराई से जुड़े होते हैं। इसलिए एक बार का चुनाव क्षेत्रीय दलों को स्वीकार नहीं होगा इसके बाद भी भारत सरकार ने एक कमेटी बनाकर इस कार्य को आगे बडाया जो इस प्रकार है।

इस सन्दर्भ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी निम्न बडी सिफारिशें की है।

1 सभी राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक बडाया जाए

2 चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकाय चुनावो के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिगल वोटर लिस्ट और वोटर आई . डी कार्ड तैयार करेगा।

3 चुनाव कराने के लिए उपकरणो, जनशक्ति एव सुरक्षा वलों की एडवांस प्लानिगं की सिफारिश की है।

4 पहले फेज में लोकसभा एवं विधान सभा के चुनाव एक साथ कराये जाये इसके बाद दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर लोकल वॉडीज (नगर निकायों) के चुनाव कराये जा सकते है।

एक साथ चुनाव के लिए भारतीय संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता

1. अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है ।

2. अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित है ।

3. अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित।

4. अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है।

5. अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन .

संसद और विधानसभाओं दोनों के लिए कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधान बनाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अधिनियम में संशोधन करना होगा

कौन कौन से देश एक साथ चुनाव कराते है आज

1. स्वीडन

2. इंडोनेशिया

3. दक्षिण अफ्रीका

4. जर्मनी

5. स्पेन

6. हंगरी

7. बेल्जियम

8. पोलैंड

9. स्लोवेनिया

10. अल्बानिया

निष्कर्ष वर्तमान परिदृश्य में ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' की प्रणाली को अपनाना कठिन प्रतीत होता है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियाँ इस प्रणाली को अपनाने के लिए सहमत नहीं होंगी क्योंकि उन्हें हाल के लोकसभा चुनावों में सबसे बुरी हार

का सामना करना पड़ा है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति लेने से पहले केंद्र सरकार को ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' के लिए आवश्यक तैयारी करने की आवश्यकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 77ः संभावना है कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो भारतीय मतदाता राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही पार्टी को वोट देंगे क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है और केंद्र सरकार राज्यों की सरकार को भारी धन आवंटित करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- दृष्टिआईएएOneNationOneElection&05-06-2021URL&https%//www-drishtiiascom/daily&updates/daily&news&editorials/one&nation&one&election
- सवाईकुरैशी;Atimefor\electoralreform&URL&https%//indianeÛpresscom/article/opinion/columns/evm&manipulationvote&counting&election&commissionup&electionsmayawati&4593042/
- .जितेंद्रसाहू,//oaji-net/articles/2017/1174&1512211491-pdfONENATION]ONEELECTIONININDIAURL&https
- आशुतोष ओपिनियन (One Nation) One Election Will Kill the Spirit of India^sConstitutionURLhttps%//wwwnews18com/news/opinion/opinion&one&nation&one&election&will&kill&the&spirit&of&indias&constitution&1649491-html
- One India One Election % Pros and Cons August 9 2016 URL&https%//wwwcareerridecom/view/one&india&one&election&pros&and&cons&29332-aspÛ
- One nation&One election a path&breaking electoral reform 02-02-2018 URL&https%//wwwthehansindicom/posts/indeÛ/Opinion/2018&02&02/One&nation&One&election&a&path&breaking&electoral&reform/356029
- .एस वाई कुरैशी An Undocumented Wonder % The Making of the GreatIndianElection-
- दीपक रस्तोगीय जानें–समझें,एक देश, एक चुनाव पर चर्चाः कैसे मुमकिन है और क्या?बदल जाएगा,आलेख,जनसत्ता ,01-12-2020
- R Keerthana; The Hindu EÛplains% One nation] one election vkys[k] nfgUnw 19-06-2019